BSNL
Connecting India

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Government of India enterprise)
O/o Chief General Manager M.P.Telecom Circle, Bhopal M.P.462015

No.SR-67/Union/Recog./Main/BSNLEU/Ch-III/2018-19/ 117 **Dated: 14/10/2021**

बैठक के कार्यवृत

कॉन्फ्रेंस हॉल बीएसएनएल भवन, परिमंडल कार्यालय,भोपाल में दिनांक 28.09.2021 को बीएसएनएलईयू के पदाधिकारीयों के साथ माननीय मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में बीएसएनएलईयू के द्वारा परिमंडल में व्याप्त समस्यओं के संबंध में दिए गये मुददों के समाधान एवं निराकरण हेतु बैठक की गई, जिसमे निम्नलिखित प्रशासन की ओर से अधिकारी एवं यूनियन की ओर से पदाधिकारी उपस्थित थे :

प्रबंधन की और से

1. श्री सत्यानन्द राजहंस , मुख्य महाप्रबंधक
2. श्री विनोद कुमार , महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशासन)
3. श्री के.एस.चौहान, महाप्रबंधक (वित्त)
4. श्रीमती अर्पिता त्रिपाठी , महाप्रबंधक(सी एफ ए)
5. श्री मनोज गुप्ता, सहा.महाप्रबंधक(मा.सं./विधिक)
6. श्री के.के.स्वामी, उपमंडल अभियंता (एस.आर.)

यूनियन की ओर से

1. श्री प्रकाश शर्मा , परिमंडल सचिव,इंदौर
2. श्री बी.एस. रघुवंशी, परिमंडल अध्यक्ष, नरसिंहपुर
3. श्री एच.एस. ठाकुर,सहा.परिमंडल सचिव, भोपाल
4. श्री मनोज शर्मा, सहा.परिमंडल सचिव, उज्जैन
5. श्री योगेश शर्मा, सहा.परिमंडल सचिव,सतना
6. श्री पी.के.तवर, सहा.परिमंडल सचिव,भोपाल
7. श्री लखन पटेल, सहा.परिमंडल सचिव,जबलपुर
8. श्री राघवेन्द्र अरजरिया , जिला सचिव , जबलपुर
9. श्री आर.के. वर्मा , परिमंडल कोषाध्यक्ष, इंदौर
10. श्री आर.एस.कुशवाह , सीईसी सदस्य

सर्वप्रथम बैठक में महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशासन) के द्वारा मुख्य महाप्रबंधक की ओर से यूनियन के सभी पदाधिकारीयों का स्वागत किया एवं परिचय लिया गया | माननीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कहा गया कि उठाये गए सारे मुददे बीएसएनएल की उन्नति से जुड़े हुये हैं | तत्पश्चात यूनियन की ओर से दिये गये मुद्दों पर क्रमानुसार एक-एक करके विचार-विमर्श किया गया एवं उन पर उचित निर्णय लिए गये जो की निम्नानुसार है :-

1. यह सर्वविदित है कि FTTH हमारा एक बेहतरीन प्रॉडक्ट है। प्लान्स भी ग्राहकों की अपेक्षानुरूप ही हैं। किंतु आश्वासित स्पीड, आफ्टर सेल सर्विस गुणवत्तापूर्ण न होने व कुछ वेंडर्स की मनमानी के चलते FTTH कनेक्शन्स की संख्या में वृद्धि नही हो रही है। इस संबंध में ऐसी रणनीति जरूरी है, जो FTTH की संख्या वृद्धि के साथ साथ रखरखाव, स्पीड आदि के मद्देनजर भी कारगर साबित हो |
जवाब: स्पीड एवं आफ्टर सेल सर्विस में सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है| इस संबंध में बेकबोन (backbone) एवं OLT की संख्या बढाने पर कार्य किया जा रहा है | उज्जैन एवं होशंगाबाद में अलग से BNG लगाया जा रहा है |
निर्णय: यूनियन की और से बताया गया कि आज का दौर FTTH का ही है एवं इस क्षेत्र में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हैं | प्रबंधन की ओर से बताया गया की आवश्यकता के आधार पर शीघ्र ही रणनीति बनाकर आगे भी कार्य किया जायेगा |

कार्यवाही – महाप्रबंधक (सेल्स एवं मार्केटिंग)/ महाप्रबंधक(सी एफ ए)

2. बड़ी संख्या में BSNL के लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के प्रति ग्राहकों का रुझान कम होता जा रहा है , अपेक्षानुरूप सेवाओं के अभाव में वें अपने कनेक्शन विच्छेदित करवा रहे हैं। हमारे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ स्थानों पर रखरखाव हेतु नियुक्त वेंडर, फॉल्ट समय पर ठीक नही कर रहे हैं और मैनीप्यूलेशन कर एग्रीमेंट में उल्लेखित दंड प्रावधानों और पेनल्टी से भी बच रहे हैं। फील्ड कर्मियों/अधिकारियों के नियमानुसार कार्य संपादन करने के निर्देशों की भी वेंडर्स, उच्च अधिकारियों के सामीप्य का रौब ग़ालिब कर, अवहेलना कर रहे हैं। पुख्ता शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि, इन वेंडर्स को वरिष्ठ अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त है, जिसके चलते संबंधित फील्ड ऑफिसर्स मानसिक तनाव में कार्य कर रहे हैं। उन पर वेंडर्स के बिल पास करने के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट देने हेतु नियम विरुद्ध दबाव भी बनाया जा रहा है। इन कृत्यों से, संबंधित कर्मियों/अधिकारियों का मनोबल भी गिर रहा है। परिणामस्वरूप, हमारे कनेक्शन्स की संख्या तीव्रता से घटती जा रही है। इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की इस कार्यप्रवत्ति पर रोक और वेंडर्स को नियम सम्मत कार्य करने हेत कडे निर्देश देना निहायत जरूरी है।

जवाब: टेंडर के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही की जायेगी | अपितु इस तरह का प्रकरण देखने में आया है तो संज्ञान में लाया जाये, त्वरित कार्यवाही की जायेगी |

निर्णय: इस मुददे पर प्रबंधन कि तरफ से बताया गया कि प्रकरण में लिप्त संबंधितो से जवाब मंगाया जायेगा एवं समीक्षा उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी |

कार्यवाही –प्रधान महाप्रबंधक (सेल्स एंड मार्केटिंग)/ महाप्रबंधक (सी एफ ए)

3. सतना प्रबंधन द्वारा केबल डैमेज हेतु जारी किए गए रु 33 लाख के डिमांड नोट की वसूली के लिए की जा रही प्रबंधन की कार्यवाही में शिथिलता चिंतनीय है। BSNLEU की सतना जिला इकाई और परिमंडल यूनियन द्वारा इस संबंध में काफी पत्राचार किया जा चुका है। किंतु इतनी बड़ी राशि की वसूली हेतु प्रबंधन का गंभीर न होना, प्रबंधन को शंका के घेरे में लाता है। साफ सफाई जैसी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी फण्ड की अनुपलब्धता की दुहाई देने वाले अधिकारियों की, रु 33 लाख की राशि वसूली के प्रकरण में बेफिक्री चिंताजनक है। क्या इस राशि की वसूली हेतु प्रबंधन से इस अति लंबित प्रकरण में गतिशीलता की उम्मीद की जा सकती है ?

जवाब: लंबे पत्राचार के उपरान्त , सतना एसएसए के अधिवक्ता द्वारा मैसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड को 33 लाख रुपये के नुकसान शुल्क की वसूली हेतु एक कानूनी नोटिस दिनांक 27.05.2019 को दिया गया था। । (प्रतिलिपि संलग्न) । जवाब में, मैसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने वकील को ईमेल दिनांक 15.06.2019 के माध्यम से बताया कि जियो द्वारा मेसर्स अनुज एसोसिएट्स के माध्यम से सभी बहाली का काम पूरा कर लिया गया है और इसे जाँचा जा सकता है। (प्रतिलिपि संलग्न)। फिर भी , इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए दिनांक 31.03.2021 को सतना को फिर से एक पत्र लिखा गया था । (प्रतिलिपि संलग्न)।

निर्णय: प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस प्रकरण पर पुनः सतना,बी. ए. प्रमुख को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जायेगा| साथ ही महाप्रबंधक (वित्त) परिमंडल कार्यालय को भी प्रकरण पर समीक्षा करने को कहा जायेगा | इस कार्यालय के पत्र क्रं. SR-67 /Union/ Recog./ Main/ BSNLEU/Ch-III/2018-19/ 114 दिनांक 08 /10/2021 के द्वारा संबंधितो को निर्देशित कर दिया गया हैं |

कार्यवाही – बी.ए. सतना प्रमुख/ महाप्रबंधक (वित्त) परिमंडल कार्यालय

4. नरसिंहपुर एसएसए को सागर बीए के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। विभिन्न प्रबंधकीय व्यवस्थाओं के सहज व सुचारू रूप से निष्पादन हेतु नरसिंहपुर एसएसए, जबलपुर या होशंगाबाद बीए के प्रशासकीय नियंत्रण में होना अधिक सुविधाजनक है। इस तथ्य से पूर्ववर्ती सीजीएम और आप स्वयं भी सहमत हैं। इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय को पत्र भी लिखा गया है। प्रक्रिया की प्रगति में गति लाने हेतु यथोचित पहल किए जाने का पुनः अनुरोध है।

जवाब: बीएसएनएल निगमित कार्यालय से इस विषय पर पत्राचार किया जा चुका है जवाब प्रतीक्षारत है |

निर्णय: माननीय मुख्य महाप्रबंधक ने यूनियन पदाधिकारियों से आग्रह किया कि यूनियन भी इस विषय में निगमित कार्यालय स्तर बात करे तथा जवाब आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी |

कार्यवाही - महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशासन)

5. जबलपुर प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं और कंपनी हित में यूनियन द्वारा दिए गए सुझावों की प्रायः उपेक्षा की जाती है, जिसके चलते उपजे असंतोष से आंदोलन की स्थिति निर्मित होती है। विगत दिनों यह महसूस हुआ है कि महाप्रबंधक स्वयं मुद्दों का निराकरण करने की बजाय असंतोष की स्थिति निर्मित करते हैं। छोटी छोटे मुद्दों का निराकरण न कर स्पष्टीकरण हेतु परिमंडल को प्रेषित कर विलंबित किया जाता है। यह गौरतलब है कि परिमंडल में सर्वाधिक आंदोलन जबलपुर में ही होते हैं, ऐसा क्यों ? इसका

मंथन जरूरी है। हमारे दृष्टिकोण में जबलपुर प्रबंधन का हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहना, समस्याओं के निदान हेतु सकारात्मक पहल न करना और कुछ हद तक पक्षपातपूर्ण रवैया, रोष और औद्योगिक तनाव की वजह है। जबलपुर प्रबंधन को यूनियन के साथ समन्वय स्थापित कर सकारात्मक कार्य रणनीति व कार्य योग्य माहौल की निर्मिति हेतु यथोचित निर्देश दिए जाएं।
जवाब: इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.09.2021 एवं 17.07.2021 के द्वारा महाप्रबंधक बी.ए., जबलपुर एवं सभी बी.ए.प्रमुखों को यूनियन की समस्यों एवं मांगो के निराकरण हेतु निर्देशित किया जा चुका है |(प्रतिलिपि संलग्न)
निर्णय: माननीय मुख्य महाप्रबंधक प्रकरण पर समीक्षा करेंगे एवं जबलपुर बी.ए. प्रबंधक से चर्चा भी करेंगे | यूनियन पक्ष जवाब से सहमत है |

6. एसएसए के विभिन्न BAs में नियंत्रण में आने के पश्चात, एसएसए में कार्यरत कर्मचारियों को ERP में GPF अग्रिम आवेदन करने में दिक्कतें आ रही हैं। निदान अपेक्षित है।
जवाब: नए बनाये गये बी.ए. से इस संबंध में शिकायते आ रही थी | जिसको दूर कर दिया गया है | यदि कोई समस्या अभी भी है, तो संज्ञान में लाये उसका भी समाधान किया जायेगा |
निर्णय: यूनियन पक्ष जवाब से सहमत है |

7. पन्ना एसएसए में एक लेखा अधिकारी पदस्थ करें। प्रबंधकीय आवश्यकताएं, राजस्व वसूली, वाणिज्यिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु यह जरूरी है।
जवाब: पन्ना एस एस ए में श्री उमेश जैन द्वारा लेखा अधिकारी का पद ग्रहण कर लिया गया है |
निर्णय: यूनियन पक्ष जवाब से सहमत है |

8. JE, OS, TT, ATT व अन्य संवर्गों में लंबित रिक्वेस्ट ट्रांसफर के प्रकरणों पर विचार कर आदेश जारी किए जाएं। परिमंडल को प्राप्त आवेदनों की प्रतीक्षा सूची उपलब्ध करवाएं।
जवाब: लंबित प्रकरणों पर समय-समय पर विचार किया जाता है | प्राप्त आवेदनों की प्रतीक्षा सूची संलग्न है |
निर्णय: यूनियन पक्ष जवाब से सहमत है |

9. मंदसौर और नीमच एसएसए में मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल न होने से कर्मचारियों को इलाज में असुविधा हो रही है। मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल की सुविधा की उपलब्धता हेतु शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।
जवाब: इस कार्यालय के स्मरण पत्र दिनांक 09.09.2021 के द्वारा सभी बी.ए./ ओ/ए. प्रमुखों को निजी अस्पतालों को एम्पेनल्ड /रिनुवल करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके है (प्रतिलिपि संलग्न)। वैसे ज्ञात हो की नीमच में अभी एक अस्पताल "चौधरी नर्सिंग होम , मेहनोत नगर, मनासा रोड, में एम्पेनल्ड है |
निर्णय: इस मुददे पर स्टाफ पक्ष को बताया गया की मंदसौर के लिये हॉस्पिटल का प्रस्ताव तैयार करा कर परिमंडल में स्वीकृति हेतु भिजवाये जिससे आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जा सके |

कार्यवाही - महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशासन)

10. अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में कमिटी गठित कर शीघ्र कार्यवाही की जाए। इस संबंध में बीए स्तर पर आवेदन प्राप्ति पश्चात तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देश दिए जाएं।
जवाब: अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में बीएसएनएल निगमित कार्यालय द्वारा 3 वर्षो के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है | इसके उपरान्त ही कमिटी का गठन किया जा सकेगा |
निर्णय: यूनियन की ओर से मांग की गई कि कुछ BA/OA ने आवेदकों से अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन लेना बंद कर दिए है | निगमित कार्यालय ने मात्र 3 वर्षो के लये अनुकम्पा नियुक्ति पर रोक लगी हैं परन्तु प्राप्त प्रकरणों को पूर्ण करवाकर रखा जाना है जिससे भविष्य में निगमित कार्यालय से आदेश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सके | प्रबंधन की ओर से सहमति व्यक्त की गई एवं आशवस्त किया गया की शीघ्र ही इस आशय का पत्र जारी किया जायेगा | परिमंडल कार्यालय ने पत्र क्रं आरई/ 14- सी जी ए/अपूर्ण प्रकरण/2019 /24 दिनांक 04.10.2021 द्वारा निर्देश जारी कर दिये हैं |

कार्यवाही - महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशासन)

11. प्रोजेक्ट विजय के इंसेंटिव का भुगतान किया जाए।
जवाब: आवश्यक फण्ड की उपलब्धता पर ही भुगतान किया जा सकेगा |
निर्णय: इस मुददे पर महाप्रबंधक(वित्त) के द्वारा बताया गया कि फण्ड रिक्वेस्ट पत्र निगमित कार्यालय को पूर्व में ही दिनांक 04.07.2020 को एवं स्मरण पत्र दिनांक 06.10.2021 को भेजा जा चुका है |

कार्यवाही - महाप्रबंधक(वित्त) परिमंडल कार्यालय

12. मेडिकल कार्ड, CGHS कार्ड आदि के लिए एसएसए स्तर पर ही समुचित सुविधा हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
जवाब: रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ओ.ए. स्तर पर समस्त प्रशासनिक कार्य बंद किये जा चुके है अतः सारे प्रशासनिक कार्य बी.ए. स्तर पर ही किये जा रहे है |
निर्णय: यूनियन पक्ष जवाब से सहमत है |

13. आगामी त्यौहारों के मद्दे नजर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लंबित वेजेस का शीघ्र भुगतान करने हेतु निर्देश दिए जाएं।
जवाब: कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सीधे बीएसएनएल से भुगतान नहीं किया जाता है | बीएसएनएल से केवल संबंधित कॉन्ट्रैक्टर / वेन्डर को भुगतान होता है जो की फण्ड की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है | कॉन्ट्रैक्टर / वेन्डर को निर्देश दिए गए है कि वो अपने वर्कर को समय से भुगतान करे |
निर्णय: महाप्रबंधक(वित्त) के द्वारा बताया गया कि सभी लंबित बिलों के भुगतान हेतु डिमांड नियमित तौर पर बीएसएनएल निगमित कार्यालय भेजी जाती है | फण्ड की उपलब्धता के अनुसार लंबित बिलों का भुगतान किया जाता है |

कार्यवाही - महाप्रबंधक(वित्त)

14. सेवानिवृत्त कर्मियों से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक एसएसए में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, जिससे कि उनके कार्य "सिंगल विंडो कांसेप्ट" के तहत निष्पादित हो सकें।
जवाब: रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ओ.ए. स्तर पर समस्त प्रशासनिक कार्य बंद किये जा चुके है अतः सारे प्रशासनिक कार्य बी.ए. स्तर पर ही किये जा रहे है |
निर्णय: यूनियन पक्ष जवाब से सहमत है |

15. कार्यालयीन दैनिक व्यवस्थाएं, साफ सफाई आदि कार्यों के लिए एसएसए प्रमुखों को फंड्स मुहैया करवाएं। सफाई व्यवस्था में निरंतरता हेतु सभी एसएसए प्रमुखों को निर्देश भी दिए जाएं।
जवाब: फण्ड की उपलब्धता व कार्य की प्राथमिकता के आधार पर ही भुगतान किया जा रहा है |
निर्णय: महाप्रबंधक(वित्त) के द्वारा बताया गया कि फील्ड यूनिट को हाउस कीपिंग वेंडर एवं टेम्परी एडवांस हेतु समय-समय पर भुगतान किये जा रहे हैं |म.प्र. ब्बर्बंधन के द्वारा भी बताया गया कि बीएसएनएल कार्यालयों, दूरभाष केन्द्रों एवं आवासीय कालोनियों में साफ़ सफाई एवं अन्य बुनियादी सुविधाओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उचित दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे | इस कार्यालय के पत्र क्रं. SR-67 /Union/ Recog./ Main/ BSNLEU/Ch-III/2018-19/ 113 दिनांक 08 /10/2021 के द्वारा संबंधितो को निर्देशित कर दिया गया हैं |

कार्यवाही - महाप्रबंधक(वित्त)/महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशासन)

16. मेडिकल बिल्स के लंबित भुगतान की स्थिति से अवगत करवाया जाए और कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों के स्वीकृत मेडिकल बिल्स के भुगतान हेतु मुख्यालय से फंड्स की मांग की जाए। निम्न जानकारी प्रदत्त करवाएं..
* कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों के बिल्स का भुगतान कब से लंबित है ?
* जिन सेवानिवृत्त कर्मियों ने आउटडोर बिल्स हेतु कॅश का ऑप्शन दिया था, उन्हें कब तक का भुगतान किया गया है ? कितने प्रकरण लंबित है ? भुगतान हेतु पहल की जाए।
* स्वीकृत हो चुके, किन्तु फण्ड के अभाव में लंबित बिलों की संख्या ?

उपर्युक्त के अलावा, सभी एसएसए/बीए प्रमुखों को निर्देशित किया जाए कि उनके अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बिल्स की ERP में एक निश्चित समयावधि (यथासंभव, प्राप्ति दिनांक से 15 दिनों के भीतर) में प्रविष्टि की जाए। अनावश्यक रूप से एसएसए में ही प्रक्रिया विलंबित न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

जवाब: इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.09.2021 के द्वारा सभी बी.ए.प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ/ सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बिलों की प्रविष्टि ईआरपी में प्राप्ति दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाये (प्रतिलिपि संलग्न) | मार्च 2019 तक का भुगतान किया जा चुका है |

निर्णय: इस मुददे पर महाप्रबंधक(वित्त) के द्वारा बिन्दुवार बताया गया कि,

1.कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल बिलों के भुगतान – आज दिनांक तक पूर्ण है |

2. सेवानिवृत्त कर्मियों के मार्च 2019 तक स्वीकृत बिलों के लिए रू 66 लाख प्राप्त हो चुके है एवं भुगतान भी किया जा चुका हैं |

3. सेवानिवृत्त कर्मियों को आउटडोर देयता – रू. 80.19 लाख

4. सेवानिवृत्त कर्मियों को इंडोर देयता – रू. 162.22 लाख

5.उपरोक्त मेडिकल देयता के लिए फण्ड की मांग निगमित कार्यालय से हर पखवाड़े के आधार पर की जाती है |

कार्यवाही - महाप्रबंधक(वित्त)

17. बीएसएनएल व कर्मचारियों हितार्थ किसी भी प्रकार की कार्य योजना बनाने या पॉलिसी मैटर पर निर्णय लेने के पूर्व यूनियन को भी विश्वास में लिया जाए, सुझाव लिए जाएं। हालांकि, कुछ एसएसए में यूनियन से समय समय पर चर्चाएं होती है, किन्तु कुछ यूनिट्स में यूनियन की अवहेलना की शिकायतें भी मिलती रहती है। अतः, इस बाबद सभी एसएसए/बीए प्रमुखों को यथोचित निर्देश जारी करें।

जवाब: इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.07.2021 के द्वारा सभी बी.ए.प्रमुखों को निर्देशित किया जा चुका है (प्रतिलिपि संलग्न) | हालाँकि परिमंडल स्तर पर पालिसी मैटर या कोई नई कार्य योजना बनाते समय यूनियन /एसोसियेशन से सामान्यतः चर्चा की जाती है

निर्णय: यूनियन पक्ष जवाब से सहमत है |

18. टेलीकॉम फैक्ट्री, राइट टाउन, जबलपुर के महाप्रबंधक महोदय को यूनियन के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करने, यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सुझावों की अवहेलना न करने बाबद विशेष रूप से निर्देश दिए जाएं। ज्ञातव्य है कि, महाप्रबंधक, टीएफ, राइट टाउन द्वारा यूनियन के साथ की जा रही उपेक्षा की ओर तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक महोदय का ध्यान आकृष्ट करने के बाद ही यूनियन के एजेंडा पर उनके द्वारा चर्चा की गई थी।

जवाब: इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.09.2021 एवं 17.07.2021 के द्वारा टेलिकॉम फैक्ट्री, राइट टाउन,जबलपुर एवं सभी बी.ए.प्रमुखों को निर्देशित किया जा चुका है |(प्रतिलिपि संलग्न)

निर्णय: इस मुददे पर माननीय मुख्य महाप्रबंधक टेलीकॉम फैक्ट्री,बी.ए. ,जबलपुर से चर्चा करेंगे | यूनियन पक्ष जवाब से सहमत है |

उपरोक्त मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने के उपरान्त परिमंडल सचिव ,बीएसएनएलईयू ने माननीय मुख्य महाप्रबंधक का सभी मुददों पर गंभीरतापूर्वक विचार एवं समाधान करने के लिये आभार व्यक्त किया | अंत में महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशासन) ने इस बैठक को सफल बनाने में सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद् दिया एवं म.प्र. प्रबंधन की ओर से आशवासन दिया कि सभी समस्यों के शीघ्र निराकरण हेतु प्रयास किये जायेंगे |

संलग्न: उपरोक्तानुसार |

पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है

(एस के गुप्ता)
सहायक महाप्रबंधक (स. एवं प्र.)
कार्या.मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, म.प्र.

प्रतिलिपि :

1. **निज सचिव , मुख्य महाप्रबंधक . म.प्र. दूरसंचार परिमंडल कृपया सूचनार्थ |**
2. **परिमंडल सचिव , बीएसएनएलईयू, म.प्र. परिमंडल |**
3. **सभी बैठक में उपस्थित प्रबंधन पक्ष एवं बीएसएनएलईयू यूनियन के प्रतिनिधि |**
4. **सभी संबंधित बी.ए. / यूनिट प्रमुख सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |**